राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–263 / 2010 / जयपुर

मैसर्स हांगकांग एण्ड संघाई बैकिंग कारपोरेशन लिमिटैड
जयपुर .... अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन–प्रथम,राज. जयपुर ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक .... अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक .... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :.28.06.2017

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील उपायुक्त(अपील्स)पंचम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगेक अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 38 / अपील–।। / 2005–06 / जे.पी.बी. में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 84 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 100 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 15.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 07.04.2003 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण लेखा पुस्तकों की जांच करने पर कुछ अनियमिततायें पाई जाने पर अधिनियम की धारा 14 व 63 के अन्तर्गत अस्थाई आदेश पारित किया गया। जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने मैसर्स एम.पी.बुलियन जयपुर को जरिए बिल संख्या 1 दिनांक 21.05.2002 से बिल संख्या 10 दिनांक 29.05.2002 तक की अवधि में स्वर्ण की बिक्री रू. 72113797 / –की गई, जिस पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर रू. 8,29,313 / –वसूल की गई और उक्त कर राशि राजकोष जमा नहीं करावाई गयी। उक्त कर राशि राजकोष में जमा नहीं कराने का कारण पूछने पर बताया गया कि उक्त कर राशि को क्रेता व्यवहारी को वापस लौटा दिया गया है। सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी ने कहा जायेगा) ने कर राशि वापस लौटाने को असत्य मानकर उस पर रू. 2658880 / –की मांग सृजित की गई है। उक्त सृजित मांग से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त(अपील्स)जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त आयुक्त(अपील्स)जयपुर ने अपील का निस्तारण दिनांक 04.08.2004 को करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये कि अपीलांट उपर्युक्त बिक्री के सम्बन्ध में कर चुकाने का बिन्दु बदलने

(Shift) का अधिकारी था अथवा नहीं? उपरोक्त बिन्दु को तय करने के पश्चात ही कर व शास्ति लगाने के लिए स्वतंत्र. होगें।

कर निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त(अपील्स)जयपुर के उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 22.03.2005 को कर निर्धारण आदेश पारित कर निष्कर्ष दिया कि अपीलार्थी मिथ्या बहाने बनाकर क्रेता व्यवहारी को कर वापस लौटाकर बिक्री एस टी 17 पर दर्शाकर बिना पूर्व जारी बिल को निरस्त करते हुए करापंवचन किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने कुल रू. 31,58,597/–की मांग सृजित की, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग में से कर एवं ब्याज को यथावत रखा है,जो अनुचित एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिसूचना दिनांक 04.06.2002 के अन्तर्गत प्रशमन का विकल्प लेने एवं उसके द्वारा आलोच्य अवधि के विवादास्पद पण्यावर्त हेतु घोषणा प्रपत्र एस टी 17 प्रस्तुत करते हुए, कर देयता पश्चातवर्ती बिन्दु को स्वीकार कर, ग्रहण करने के आधार पर क्रेता व्यवहारी की ओर से अदा किये गये कर व सरचार्ज रिटेन नहीं किया जाकर क्रेता व्यवहारी के खाते में स्थानान्तरित किया गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत घोषणा पत्र एस टी 17 के विरूद्ध कर बिन्दु क्रेता व्यवहारी को शिफ्ट किया जा सकता है। उनका कथन है कि जो कर क्रेता व्यवहारी से लिया गया था वह जरिए क्रेडिट नोट लौटा दिया गया था। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जो पूर्णतया उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन कियां।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी ने मैसर्स एम.पी.बुलियन जयपुर को जरिए बिल संख्या 1 दिनांक 21.05.2002 से बिल संख्या 10 दिनांक 29.05.2002 तक की अवधि में स्वर्ण की बिक्री रू. 72113797/–की गई, जिस पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर रू. 8,29,313/–वसूल की गई और उक्त कर राशि राजकोष में जमा करवा दी गई है। उक्त कर राशि व्यवसायी क्रेता फर्म को नियमानुसार लौटाने योग्य नहीं है।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बुलियन क्रेता व्यवहारी मैसर्स एम.पी.बुलियन, जयपुर द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.06.2002 के तहत प्रशमन योजना का विकल्प लेने से पूर्व की आलोच्य अवधि (21.05.2002 से 29.05.2002) में क्रय किये गये बुलियन की अधिसूचना दिनांक 15.05.2002के अनुसार घोषणा प्रपत्र एस टी 17 के विरूद्ध खरीद किये जाने सम्बन्धी कोई सूचना केता व्यवहारी की ओर से अपीलार्थी व्यवहारी को नहीं दी गई थी तथा केता व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में क्रय किये गये बुलियन पर अपीलार्थी को निर्धारित दर से विक्रय कर अदा किया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि की बुलियन विक्रय राशि पर बिक्री कर अलग से वसूल किया हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि मैसर्स एम.पी.बुलियन को आलोच्य अवधि में बिक्री कर वसूल कर किये गये बुलियन बिक्री के संव्यवहार हेतु पश्चातवर्ती सोच के तहत बिक्री कर देयता दर्शाते हुए बिल जारी किये गये हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने जांच पर यह भी पाया है कि बुलियन केता व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के विक्रय संव्यवहार से सम्बन्धित बुलियन के विक्रय पर खरीददारों से बिक्री कर वसूल किये जाने का कोई दस्तावेज अथवा प्रमाण पत्र भी रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

प्रकरण के उपर्युक्त विवेचित तथ्यों एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विस्तृत विवेचन करते हुए कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 265/2007/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,जोन–प्रथम,जयपुर बनाम पंजाब नेशनल बैंक, जयपुर में पारित निर्णय के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा है,जिससे इस स्तर पर प्रकरण के तथ्यों की पुनः विवेचना करने का यह पीठ कोई औचित्य नही समझती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष